

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2014/चैत्र 12, 1936

No. 187]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CHAITRA 12, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 257(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 164 की उपधारा (1), धारा 366 की उपधारा (1), धारा 367 और धारा 374 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा प्ररूप, 1956 का, जहां तक उनका संबंध इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से है, अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) “अनुसूची” से इन नियमों से अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) “फीस” से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा फीस) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट फीस से अभिप्रेत है;

(घ) ‘प्ररूप’ अथवा “ई- प्ररूप” से अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप, जिसका उपयोग संबंधित मामले के लिए किया जाएगा, अभिप्रेत है;

(ड) “प्रादेशिक निदेशक” से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(च) “रजिस्ट्रार (सीमित दायित्व भागीदारी)” से सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित मामलों का निपटान करने वाला रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और उक्त नियमों में हैं।

3. (1) अधिनियम की धारा 366 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर होने योग्य कंपनी के प्रयोजनों के लिए कंपनी के निगमन तथा उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित अध्याय II के उपबंध ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

परंतु इस उपनियम के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए सात अथवा अधिक सदस्य होंगे।

(2) कोई कंपनी अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के निबंधनानुसार प्राप्त होने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से प्ररूप संख्या **यूआरसी-1** के साथ रजिस्ट्रार को अपेक्षित दस्तावेज और सूचना संलग्न करेगी, अर्थात्:-

(क) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए:-

i. सदस्यों के रूप में उसमें नामित सभी व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय के साथ क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों के विवरण जिनमें नकद में प्रतिफल के लिए आबंटित शेयर और नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए आबंटित शेयर अलग-अलग और साथ ही प्रतिफल के स्रोत और जिन मामलों में शेयरों की संख्या दी गई है, प्रत्येक शेयर को उसकी संख्या द्वारा, जो किसी दिन रजिस्ट्रीकरण करवाने के दिन से छः कार्य दिवस पहले सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार थे, दर्शाने वाली सूची;

ii. कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में प्रस्तावित व्यक्तियों के विवरण, उनके नाम, उपनाम अथवा पारिवारिक नाम सहित, दिन, समाप्ति की तारीख के साथ पासपोर्ट संख्या (यदि कोई हो), आवासीय पता और अन्य फर्मों अथवा कारपोरेट निकायों में उनके हितों के साथ कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति दर्शाने वाली सूची;

iii. प्रथम निदेशकों के रूप में प्रस्तावित प्रत्येक व्यक्ति से शपथपत्र कि वह धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक बनने के लिए निरर्हित नहीं है और कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना सही और पूर्ण हैं तथा उनकी जानकारी और विश्वास से सत्य हैं;

iv. सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के नाम और पतों की सूची;

v. संसद के किसी अधिनियम अथवा अन्य भारतीय विधि, भागीदारी विलेख, कंपनी के गठन अथवा विनियमन के लिए उप विधियां अथवा अन्य लिखत की प्रति जो उपनियम नियम (4) में उपबंधित रीति से सत्यापित हो;

vi. निम्नलिखित विवरण विनिर्दिष्ट करने वाला एक विवरण:-

(i) कंपनी की नाममात्र शेयर पूंजी और शेयरों की संख्या जिनमें उसको विभक्त किया गया है;

(ii) लिए गए शेयरों की संख्या और प्रत्येक शेयर पर संदत्त राशि;

(iii) कंपनी के नाम में अंतिम शब्द अथवा शब्दों के रूप में “लिमिटेड” अथवा “प्राइवेट लिमिटेड”, जैसा भी अपेक्षित हो, जोड़ना;

vii. आवेदक के सभी प्रतिभूत लेनदारों से लिखित सहमति अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र;

viii. इस भाग के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए सहमति हेतु आम बैठक में बहुमत सदस्यों, चाहे स्वयं उपस्थित हों अथवा प्राक्सी द्वारा, से लिखित सहमति।

(ख) गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अथवा असीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए:

- i. सभी व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय दर्शाने वाली सूची, जो किसी दिन रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से छः से अनधिक कार्य दिवस से पूर्व सदस्यता के सबूत सहित कंपनी के सदस्य थे;
- ii. कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में प्रस्तावित व्यक्तियों के विवरण, उनके नाम, उपनाम अथवा पारिवारिक नाम सहित, दिन, समाप्ति की तारीख के साथ पासपोर्ट संख्या (यदि कोई हो), आवासीय पता और अन्य फर्मों अथवा कारपोरेट निकायों में उनके हितों के साथ कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति दर्शाने वाली सूची;
- iii. प्रथम निदेशकों से शपथपत्र कि वह धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक बनने के लिए निरहित नहीं है और कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उनकी जानकारी और विश्वास से सत्य है;
- iv. सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के नाम और पतों की सूची;
- v. संसद के किसी अधिनियम अथवा अन्य भारतीय विधि, कंपनी के गठन अथवा विनियमन करने वाली उप विधियां अथवा अन्य लिखित जो उप नियम (4) में उपबंधित रीति से सत्यापित हो;
- vi. गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने की इच्छुक कंपनी की दशा में गारंटी की राशि घोषित करते हुए संकल्प एक प्रति।
- vii. आवेदक के सभी प्रतिभूत लेनदारों से लिखित सहमति अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- viii. इस भाग के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए सहमति हेतु आम बैठक में बहुमत सदस्यों, चाहे स्वयं उपस्थित हों अथवा प्राक्सी द्वारा, से लिखित सहमति।

(3) सभी सदस्यों अथवा भागीदारों से सम्यक् रूप से नोटरीकृत एक शपथपत्र जिसमें उपबंध होगा कि यदि अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अथवा अन्य प्राधिकारी, जिसके पास कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में उसके विघटन के लिए पहले रजिस्ट्रीकरण कराया गया था, को आवश्यक दस्तावेज अथवा कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) सदस्यों तथा निदेशकों की सूची और 'कंपनी' से संबंधित अन्य कोई व्यौरे जो रजिस्ट्रार को दिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को दो अथवा अधिक प्रस्तावित निदेशकों; अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के दो या अधिक नामनिर्दिष्ट भागीदारों की घोषणा द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कराए जाएंगे।

4. रजिस्ट्रीकरण आवेदन करने वाली कंपनियों की प्रकाशन करने की बाध्यताएं . — (1) अधिनियम की धारा 374 के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, अध्याय XXI के भाग I के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण आवेदन करने वाली प्रत्येक कंपनी उक्त भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण संबंधी एक विज्ञापन प्रकाशित करेगी जिसमें नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस कार्यदिवस के भीतर आपत्तियां, यदि कोई हों, मांगी जाएंगी और उक्त विज्ञापन प्ररूप संख्या **यूआरसी-2** में होगा जो जिले, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी है, की एक प्रांतीय भाषा में और एक अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा उस जिले में परिचालित किया जाएगा।

(2) नोटिस की यथा प्रकाशित एक प्रति और रजिस्ट्रार (एलएलपी) को तामील नोटिस की एक प्रति, तामील के सबूत सहित प्ररूप **संख्या यूआरसी-1** के साथ संलग्न किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार, विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उसको प्राप्त आवेदन तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने, कि कंपनी ने आपत्तियों का सही ढंग से समाधान किया है, के पश्चात निर्णय करेगा कि रजिस्ट्रीकरण करना चाहिए अथवा नहीं।

(4) यदि रजिस्ट्रार का, आवेदक द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज और सूचना के आधार पर समाधान हो जाता है तो वह प्ररूप **संख्या आईएनसी11** में निगमन का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की अन्य बाध्यताएं - अधिनियम की धारा 374 के खंड (घ) के प्रयोजनार्थ;

(i) जहां सीमित दायित्व भागीदारी ने धारा 367 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है वहां इस आशय की एक सूचना, संबंधित रजिस्ट्रार (एलएलपी), जिसके अधीन वह मूलतः रजिस्ट्रीकृत थी, को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर दी जाएगी जिसके साथ सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में इसके विघटन के लिए आवश्यक दस्तावेज और कागज़ लगाए जाएंगे।

(ii) लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण जिसे रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले तैयार किया गया है, पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जहां कहीं लागू हो, प्ररूप **संख्या यूआरसी 1** के साथ संलग्न किए जाएंगे।

परंतु यदि ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत निगमित की जाने वाली 'कंपनी' के साथ उसकी परिसंपत्तियां निहित करने के प्रयोजन हेतु विद्यमान 'कंपनी' की परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है तो इस पुनः मूल्यांकन से प्राप्त आधिक्य को भागीदारों के पूंजी खाते अथवा चालू खाते के नामे डाला जाना नहीं समझा जाएगा।

(iii) संबद्ध रजिस्ट्रार (एलएलपी) जिसके अंतर्गत इसे मूल रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था, को नोटिस दिया जाएगा और यह अपेक्षा की जाएगी कि रजिस्ट्रार का संबद्ध रजिस्ट्रार (एलएलपी) द्वारा की गई आपत्तियां, यदि कोई हों तो ऐसी नोटिस की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर की जाएंगी अन्यथा यह उपधारणा की जाएगी कि कोई आपत्ति नहीं है और नोटिस में आपत्तियों के संबंध में प्रयोजन तथा मामलों का सार प्रकट किया जाएगा।

(iv) इन नियमों के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी की कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के मामले में उक्त सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा एक घोषणापत्र कि उसने रजिस्ट्रार (एलएलपी) को सीमित दायित्व भागीदारी के अधीन फाइल करने हेतु अपेक्षित सभी दस्तावेज फाइल कर दिए हैं और यह घोषणापत्र, प्ररूप **संख्या यूआरसी 1** के साथ संलग्न किया जाएगा।

(v) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, का विवरण प्ररूप **संख्या यूआरसी 1** के साथ संलग्न किया जाएगा।

अनुसूची

प्ररूप सं. यूआरसी-1 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 के साथ पठित नियम 2 के अनुसरण में]	 सत्यमेव जयते	धारा 366 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु कंपनी द्वारा आवेदन
--	---	---

प्ररूप की भाषा *अंग्रेजी *हिन्दी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश देखें।

- (क)* प्ररूप 2.1 का एस.आर.एन.....(पहले से भरा हुआ)
(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या (यदि हो.....)
- (क)* संगठन का प्रकार.....
'अन्य' स्पष्ट करें.....
(ख) * संगठन का नाम.....
(ग)* संगठन के सदस्यों की संख्या.....आवेदन की तारीख को
(घ) प्रस्तावित कंपनी का नाम.....
- (क) प्रस्तावित कंपनी की श्रेणी.....
* (ख) क्या कंपनी के सदस्यों के दायित्व, कंपनी अधिनियम से भिन्न संसद के अन्य अधिनियम द्वारा सीमित है *हां *नहीं
- (क)* संगठन के गठन की लिखत की तारीख.....
(ख)* लिखत का विवरण.....(तारीख/माह/वर्ष)
- (क) अब तक लिए गए शेयरों की संख्या
साधारण.....
अधिमान.....
(ख) प्रत्येक शेयर पर दी गई राशि
साधारण.....
अधिमान.....
- (क) गारंटी की राशि घोषित करने के लिए संकल्प पारित करने की तारीख.....
(ख) प्रत्येक सदस्य द्वारा ली गई गारंटी के विवरण.....
- * सीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकरण हेतु सहमति देते हुए संकल्प पारित करने वाली आम बैठक की तारीख.....(तारीख/माह/वर्ष)
- * विशेष संकल्प पारित करने के विवरण तथा आम बैठक का स्थान
- * संपत्ति (अनुयोज्य दावों सहित चल अथवा अचल) की कुल राशि.....
- * क्या संगठन अथवा उसके किसी लोक अधिकारी अथवा सदस्य द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कोई मुकदमा अथवा कानूनी कार्रवाई लंबित है *हां *नहीं
यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें
.....
- (i) क्या संगठन का आवेदन की तारीख को कोई सुरक्षित ऋण बकाया है *हां *नहीं
(ii) कुल बकाया राशि का उल्लेख करें.....

संलग्नकों की सूची

संलग्नक

- 1.* सदस्यों/भागीदारों के व्यौरे और उनके द्वारा धारित शेयरों के विवरण (संलग्न करें)
2. * दो अथवा अधिक निदेशकों की घोषणा जिसमें सभी सदस्यों/ भागीदारों के विवरण सत्यापित किए गए हो; (संलग्न करें)
- 3.* संगठन के विघटन के लिए सभी सदस्यों/भागीदारों से प्राप्त शपथपत्र; (संलग्न करें)
4. * संगठन का गठन अथवा विनियमन करने वाली लिखत की प्रतिलिपि; (संलग्न करें)
5. * संगठन के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति; (संलग्न करें)
- 6.*समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति; (संलग्न करें)
- 7.* स्टाम्प अधिनियम, जहां तक लागू हो, के सभी उपबंधों का अनुपालन प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट/ कंपनी सचिव/ कंपनी लागत लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र; (संलग्न करें)
- 8.बहुमत सदस्यों की सहमति; (संलग्न करें)
9. इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए सहमत कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति; (संलग्न करें)
10. संबंधित फर्मों के रजिस्ट्रार अथवा कंपनी रजिस्ट्रार (एलएलपी) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र; (संलग्न करें)
11. प्रतिभूत लेनदारों द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहमति (संलग्न करें)
12. कंपनी के लेखाओं का विवरण, जो आवेदन की तारीख से कम से कम 6 दिन पहले तैयार किया गया हो और लेखापरीक्षक द्वारा यदि लागू हो, सम्यक रूप से प्रमाणित हो; (संलग्न करें)
13. गारंटी की राशि घोषित करने वाले संकल्प की प्रति; (संलग्न करें)
14. वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हों) ; (संलग्न करें)

संलग्नक हटाएं

घोषणापत्र

मैं..... अनुच्छेदों में नामित व्यक्ति (ड्रॉप डाउन-वैल्यूस: निदेशक/ कंपनी सचिव/प्रबंधक) घोषणा करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसमें उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में अनुपालन किया गया है। मुझे संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य संप्रवर्तकों द्वारा तथा प्रथम निदेशकों द्वारा इस घोषणापत्र को देने तथा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा व सत्यापन किया जाता है कि

1. इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सत्य, सही तथा पूर्ण है और इस प्ररूप की विषयवस्तु की किसी सूचना को अधिक्रमित अथवा छिपाया नहीं गया है और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले संप्रवर्तकों द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों के अनुसार है।

2. सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण हैं और इस प्ररूप के साथ संलग्न हैं।

*डिजिटल हस्ताक्षर के लिए

*पदनाम (डीएससी बॉक्स)

*निदेशक का दिन; प्रबंधक का दिन अथवा पैर; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

टिप्पणी: धारा 448 और 449 के उपबंधों जिनमें क्रमशः झूठे विवरण/प्रमाणपत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संशोधित करें फार्म चैक करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें

कार्यालय प्रयोग के लिए: दाखिल विवरण लगाएं

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)----- ई प्ररूप दाखिल करने की तारीख.....(तारीख/माह/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया गया है.....प्रस्तुत करने की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख..... (तारीख/माह/वर्ष)

प्ररूप सं. यूआरसी-2

अध्याय 21 के भाग 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की सूचना का विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 2 के अनुसरण में]

1. सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में स्थित रजिस्ट्रार को आवेदन किया गया है कि.....एक भागीदारी फर्म/ एलएलपी/ सहकारी समिति/सोसायटी/ एक व्यापार एंटीटी (जो लागू न हो उसे काट दें) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में अथवा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में अथवा असीमित कंपनी के रूप में (जो लागू न हो, उसे काट दें) रजिस्टर किया जाए।
2. कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं:-
.....
.....
3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि.....(यहां पता दें) स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार (पता) को भेजेगा तथा उसकी एक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भी भेजेगा।

दिनांक.....मास.....20.....

आवेदक (आवेदकों) का नाम

1.

2.

[फा.सं. 01/35/2013-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 164, sub-section (1) of section 466, section 367, and section 374 read with sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) in so far as they relate to the matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Companies (Authorised to Registered) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on 1st day of April, 2014.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (b) “Schedule” means the schedule annexed to these Rules;
 - (c) ‘fees’ means the fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;
 - (d) “Form” or “e-form” means the form in the schedule to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
 - (e) ‘Regional Director’ means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
 - (f) “Registrar (LLP)” means the Registrar dealing with the matters relations to Limited Liability Partnership.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and said rules.

3. (1) For the purposes of sub-section (2) of section 366 of the Act, the provision of Chapter II relating to incorporation of company and matters incidental thereto shall be applicable *mutatis mutandis* for such registration:

Provided that there shall be seven or more members for the purposes of registration of a company under this sub-rule.

(2) A company after obtaining availability of name in terms of the provisions of section 4 of the Act, shall attach the required documents and information to the Registrar along with **Form No.URC. 1** in the following manner, namely:—

(a) For registration as a company limited by shares :

- (i) A list showing the names, addresses, and occupations of all persons named therein as members with details of shares held by them respectively, showing separately shares allotted for consideration in cash and for consideration other than cash alongwith the source of consideration) and distinguishing, in cases where the shares are numbered, each share by its number, who on a day, not being more than six clear days before the day of seeking registration, were partners of the Limited Liability Partnership;
- (ii) a list showing the particulars of persons proposed as the first directors of the company, their names, including surnames or family names, the DIN, passport number (if any) with expiry date, residential addresses and their interests in other firms or bodies corporate along with their consent to act as directors of the company;

- (iii) an affidavit from each of the persons proposed as the first directors, that he is not disqualified to be a director under sub-section (1) of section 164 and that all the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief;
- (iv) a list containing the names and addresses of the Partners of the Limited Liability Partnership;
- (v) a copy of the Act of Parliament or other Indian law, deed of partnership, bye laws or other instrument constituting or regulating the company and duly verified in the manner provided in sub-rule (4)
- (vi) a statement specifying the following particulars:—
 - (i) the nominal share capital of the company and the number of shares into which it is divided;
 - (ii) the number of shares taken and the amount paid on each share;
 - (iii) the name of the company, with the addition of the word "Limited" or "Private Limited" as the case may require, as the last word or words thereof;
- (vii) written consent or No Objection Certificate from all the secured creditors of the applicant;
- (viii) written consent from the majority of members whether present in person or by proxy at a general meeting agreeing for registration under this part.

(b) For registration as a company limited by guarantee or as an unlimited company:

- (i) a list showing the names, addresses and occupations of all persons, who on a day, not being more than six clear days before the day of seeking registration, were members of the company with proof of membership;
 - (ii) a list showing the particulars of persons proposed as the first directors of the company, their names, including surnames or family names, the DIN, passport number (if any) with expiry date, residential addresses and their interests in other firms or bodies corporate along with their consent to act as directors of the company;
 - (iii) an affidavit from each of the first directors, that he is not disqualified to be a director under sub-section (1) of section 164 and that all the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief;
 - (iv) a list containing the names and addresses of the Partners of the Limited Liability Partnership;
 - (v) a copy of the Act of Parliament or other Indian law, bye-laws or other instrument constituting or regulating the company duly verified in the manner provided in rule (4);
 - (vi) in the case of a company intended to be registered as a company limited by guarantee, a copy of the resolution declaring the amount guarantee.
 - (vii) Written consent or No Objection Certificate from all the secured creditors of the applicant.
 - (viii) Written consent from the majority of members whether present in person or by proxy at a general meeting agreeing for registration under this part.
- (3) An affidavit, duly notarised, from all the members or partners providing that in the event of registration as a company under Part I of Chapter XXI of the Act, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, for its dissolution as Limited Liability Partnership.
- (4) The list of members and directors and any other particulars relating to the company which are required to be delivered to the Registrar shall be duly verified by the declaration of any two or more proposed directors, or two or more designated partners of the Limited Liability Partnership

4. Obligation of companies seeking registration to make publication.- (1) For the purpose of clause (b) of section 374 of the Act, every 'company' seeking registration under the provision of Part I of Chapter XXI shall publish an advertisement about registration under the said Part, seeking objections, if any within twenty one clear days from the date of publication of notice and the said advertisement shall be in **Form No.URC. 2**, which shall be published in a newspaper and in English and in the principal vernacular language of the district in which Limited Liability Partnership is in existence and circulated in that district.

(2) A copy of the notice, as published and the copy of the notice served on Registrar (LLP) along with proof of service, shall be attached with **Form No.URC. 1**.

(3) The Registrar shall, after considering the application and the objections, if any, received by him within thirty days from the date of publication of advertisement, and after ensuring that the company has addressed the objections, suitably decide whether the registration should or should not be granted.

(4) If the Registrar is satisfied on the basis of documents and information filed by the applicants, decides that the applicant should be registered, he shall issue a certificate of incorporation in **Form No.INC.11**.

5. Other obligations of companies seeking registration.-For the purpose of clause (d) of section 374 of the Act,—

- (i) where a Limited Liability Partnership has obtained a certificate of registration under section 367, an intimation to this effect shall be given, within fifteen days of such registration to the concerned Registrar (LLP) under which it was originally registered, along with necessary documents or papers for its dissolution as Limited Liability Partnership;
- (ii) statement of accounts, prepared not later than fifteen days preceding the date of seeking registration and certified by the Auditor together with the Audited Financial Statements of the previous year, wherever applicable shall be attached with **Form No.URC. 1**:

Provided that if the assets of the existing company during the immediately preceding three years are revalued for the purpose of vesting of its assets with the company to be incorporated under this Act, the surplus arising out of such revaluation shall not be deemed to have been credited to the capital account or current account of partners.

- (iii) notice shall be given to the concerned Registrar (LLP) under which it was originally registered and shall require that objections, if any to be made by such concerned Registrar of Companies (LLP) to the Registrar, shall be made within a period of twenty-one days from the date of such notice, failing which it shall be presumed that they have no objection and the notice shall disclose the purpose and substance of matters in relation to objections;
- (iv) in case of the registration of Limited Liability Partnership into a company under these rules, a declaration by the said Limited Liability Partnership that it has filed all documents which are required to be filed under the Liability Partnership Act with the Registrar (LLP) and the declaration shall be attached with **Form No. URC. 1**;
- (v) a statement of proceedings, if any, by or against the Limited Liability Partnership which are pending in any court or any other Authority shall be attached with **Form No. URC. 1**.

FORM NO. URC-1

[Pursuant to rule 21.1 of The Companies Rules, 2013 read with section 366 of The Companies Act, 2013]



**Application by a company
for registration under
section 366**

Form language ☐ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *SRN of Form 2.1 Pre-fill
- (b) Registration number(if any)
2. (a) *Type of entity
Specify 'others'
- (b) *Name of the entity
- (c) *Number of members in the entity as on the date of application
- (d) Name of the proposed company
3. (a) Category of the proposed company
- (b) *Whether liability of the members of the company is limited by any Act of Parliament other than Companies Act ☐ Yes ☐ No
4. (a) *Date of instrument constituting the entity (DD/MM/YYYY)
- (b) *Description of the instrument
5. (a) Number of shares taken upto date
Equity
Preference
- (b) Amount paid on each share
Equity
Preference
6. (a) Date of passing resolution for declaring the amount of guarantee
- (b) Particulars of guarantee taken up by each member
7. *Date of general meeting passing the resolution assenting to registration with limited liability (DD/MM/YYYY)
8. *Particulars of passing special resolution and the place of general meeting

--

If Yes, give brief details

--

☐ Yes ☐ No

List of attachments

- [illegible]

Remove Attachment

I*	
----	--

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of

Association and Articles of Association.

2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

***Designation**

DSC Box

***DIN of the director; DIN or PAN of the manager; or**

Membership number of company secretary

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement/certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I
of Chapter XXI

*[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and
rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules,
2014]*

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at that ----- a partnership firm/LLP/Co-operative Society/Society/a business entity(delete what is not applicable) may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares, or as a company limited by guarantee or as an unlimited company (delete whichever is not applicable)

2. The principal objects of the company are as follows:

.....
.....
.....

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at] [give the address here].

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at (address) , within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this.....day of.....20.....

Name(s) of Applicant

1. _____

2. _____

[F. No. 01/35/2013-CL-V]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.